परिपत्र संख्या 02/2025-सीमा शुल्क

फा. संख्या 450/58/2015-सीमा शुल्क IV (भाग I)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

****

कमरा संख्या 229 ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 17 जनवरी, 2025

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक),
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर,
सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक),
सीबीआईसी के अंतर्गत सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक।

विषय: समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम (एससीएमटीआर) के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया 31 अगस्त, 2024 की अधिसूचना संख्या 57/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत विभिन्न बंदरगाहों पर एससीएमटीआर के चरणबद्ध कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, व्यापार और सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एससीएमटीआर को लागू किया गया था। एससीएमटीआर को पहले ही 9 समुद्री बंदरगाहों पर लागू किया जा चुका है। एससीएमटीआर प्रणालियों का व्यापक परीक्षण किया गया है और व्यापार से फीडबैक को शामिल किया गया है।

2. इसके अलावा, 15 जनवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या 02/2025-सीमा शुल्क (गै.टे.) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत कुछ बंदरगाहों के लिए समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन (एससीएमटीआर) के कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा

दी गई है। कुछ एससीएमटीआर संदेशों को दाखिल करने में व्यापार में सामने आने वाली कठीनाईयों मुद्दों पर विचार करते हुए एससीएमटीआर के कार्यान्वयन को अंतरिम उपाय के रूप में बढ़ाया गया है।

3. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त समय सीमा के साथ एससीएमटीआर का विस्तार इस इरादे से किया गया है कि आयात-निर्यात का संचालन सुचारू रूप से होता और कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण के दौरान ही व्यापार को दंडित न किया जाए। तदनुसार, यह सलाह दी जाती है कि संदेशों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इस समय सीमा के दौरान भी एससीएमटीआर में निर्धारित प्रारूप में की जानी चाहिए।

4. सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों से अनुरोध है कि वे सिस्टम महानिदेशालय के समन्वय में अपने-अपने क्षेत्रों में पाक्षिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करें ताकि एससीएमटीआर के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों द्वारा विस्तारित समय सीमा का पूरा उपयोग किया जा सके।

5. उपयुक्त व्यापार सूचना/सार्वजनिक सूचना जारी करके इस परिपत्र का व्यापक प्रचार किया जाए। उपरोक्त परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

आपका,

धनंजय सिंह

(धनंजय सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: uscus4.dor@gov.in